



2026:AHC:5675

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 10 सन् 2026

प्रदीप

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: भीम सेन पाण्डेय, कार्तिकेय पाण्डेय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान रिट याचिका में पक्षकारों के विवरण में आवश्यक सुधार करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना गया।

3. यह जनहित याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"1. प्रतिवादी प्राधिकरण को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 4 से 10 का ग्राम निपनिया, ग्राम पंचायत केशवपुर, टप्पा-हवेली, परगना नगर पश्चिम, तहसील हरैया, जिला-बस्ती में स्थित भूखण्ड संख्या 206मिनजुमला/0.0790, 188/0.2000, 168/0.0840, 163/0.0170, 146मिनजुमला/0.4500 एवं 161/0.0440 से अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण हटाया जाए।"

4. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में बंजर, नवीन परती, नाली एवं खलिहान के रूप में दर्ज हैं, अतः विचाराधीन भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए।

5. तहसीलदार, हरैया, बस्ती द्वारा दिनांक 8.1.2026 को प्रेषित निर्देश अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 8.1.2026 के निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि भूखण्ड संख्या 146, 161, 163, 168, 188, 206एम के सम्बन्ध में सात वाद पंजीकृत किये गये हैं और दिनांक 13.1.2026/19.1.2026 तहसीलदार के समक्ष नियत तिथि है।

7. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त वादों के समयबद्ध निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किया जाए।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

9. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध सात वाद पंजीकृत किये गये हैं, जो उन भूखण्डों पर कब्जे में पाये गये हैं। उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत सात लंबित वादों का विवरण निम्नानुसार है:

i. T202417140113299 (ग्राम सभा बनाम राम कृष्ण)।

ii. T20101714183 (ग्राम सभा बनाम धर्म राज)।

iii. T202417140113297 (ग्राम सभा बनाम अरविन्द)।

iv. T202417140113293 (ग्राम सभा बनाम राम अवतार)।

v. T202417140113292 (ग्राम सभा बनाम राकेश एवं अन्य)।

vi. T202417140113294 (ग्राम सभा बनाम राजेश)।

vii. T202417140113303 (ग्राम सभा बनाम सियाराम)।"

10. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह जनहित याचिका इस निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, हरैया, बस्ती उपर्युक्त सात वादों को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

9 जनवरी, 2026

रमीज़

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।